

B.M.M. Law College, Saharanpur  
L.L. B. Part II and  
Noreahji Ahmad  
Paper - I and  
Family Law (Muslim Law)

### पितृत्व की स्थापना

बच्चे का पितृत्व उसके माता के प्रति से स्थापित होता है, जहाँ -

(1) विवाह सम्पन्न होने के विधि के पश्चात् 6 मास के पूर्व न उल्लंघन हुआ हो (विवाह विधि के अनुसार विवाह संयोग के पश्चात् 6 मास से पूर्व।

(2) जहाँ विवाह विच्छिन्न हो गया हो, वहीं बच्चा -

(क) विवाह विधि के अनुसार दस मास

(ख) इनाफी विधि के अनुसार दो वर्ष,

(3) इनाफी और मालिनी विधि के अनुसार चार वर्ष की अवधि में उल्लंघन हो जाय, तब भी बच्चे का पितृत्व उसी विवाह-विच्छेद की विधि से लेकर बच्चे के जन्म तक अविनाशित रहे।

सुक्राणु विज्ञान या गर्भविज्ञान के ज्ञान के कारण सुसाम्य विद्या शास्त्रियों के बच्चों के जन्म के पक्ष में ऐसी उपलब्धियाँ हैं जिनसे गर्भ पोषण किण्व रहने की अवधि दस मास से चार वर्ष तक स्वीकार किया गया। निरन्तर शरीरशास्त्र के वैज्ञानिकों के ज्ञान की वृद्धि इस सम्बन्ध में और उन दिनों विवाह विच्छेद के पश्चात् स्त्री द्वारा अना सुक्रण से आने वाला बच्चा और सुक्रण द्वारा गौने का फलदा उठना



एक सामान्य बात थी; अतएव 10 मास से याद  
वर्ष तक उपचारण की जाँ परिकल्पना की वह  
केवल इस कारण थी कि गलती करने वाले  
रुग्ने के उपर विधि की सखी को कम किया  
जा सके, क्योंकि अभियोग में कमी ही अत्यधिक  
इष्ट की जाती होती थी। विधायक का लक्ष्य  
सावधानी बरतने के लिए इस उपचारण को समर्थन  
करने है :-

"जब कोई लुब्ध अपनी पत्नी को तलाक  
दे और वह तलाक विधि से दो वर्षों के भीतर किसी  
बच्चे को दे तो वह पुत्र उस बच्चे का पिता माना  
जाएगा; क्योंकि यह ही सकता है कि तलाक के  
समय गर्भ रहा हो और गर्भ छह महीने के पूर्व समाप्त  
होना भी सम्भव न हुआ हो; अतएव सावधानी बरतने  
के लिए पितृत्व की स्थापना इस प्रकार की जाती है।"

इस प्रकार की उपचारण स्थापित  
करने वाली परिस्थितियाँ, साक्ष्य अधिनियम  
1872 की धारा 112 द्वारा स्थापित सीमा से भले ही  
अत्यधिक अनावश्यक रही हो; किंतु उन उप  
चारणों के कार्यक्षेत्र की गुंजाइश कम नहीं  
है। साक्ष्य अधिनियम 1872 के पारित होने  
के पूर्व ही कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक  
वाद में जहाँ तलाक के 19 मास पश्चात् ब्रिचु  
पैदा हुआ था मुस्लिम विधि की इस उपचारण  
की स्वीकार नहीं किया और यह कि ऐसा ब्रिचु का  
व्यभिच मानना प्रकृति के नियम के विरुद्ध होगा।  
साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 और मुस्लिम विधि  
भारतीय साक्ष्य अधिनियम



(3)

1872 की धारा 112 यह वर्णन करती है कि -  
"यदि तब कि किसी ब्राह्मण का जन्म उसकी माता  
और किसी पुरुष के बीच विवाह के दौरान था  
जिसे विवाह के 280 दिनों के अन्दर हुआ था  
और माता अनिवाचित बनी रही है तो यह इस बात  
का निवृत्त स्रोत होगा कि वह उस पुरुष  
का धर्मज संतान है जब तक यह न सिद्ध किया  
जाय कि गर्भ में उसे आ सकने के किसी भी  
संगत विवाह के पक्षों का परस्पर समागम  
की कोई अवसर नहीं थी।"

आलोचकों का कथन है कि  
पिता की उपवासना के संदर्भ में वर्णित  
छुट्टिम विधि कही है और इस कारण राज्य  
अधिनियम की इसके ऊपर प्रभावी होगा।  
किन्तु उन आलोचकों की अपनी ओर  
संगत करवना चाहिए कि विवाह के एक  
पक्षों के पश्चात् जन्म ब्राह्मण की धर्मज मानना  
क्या और अधिक कही न होगी।  
दोनों में अंतर! -

शुद्ध छुट्टिम विधि और  
राज्य अधिनियम की धारा 112 में निम्नलिखित अंतर है! -  
1) छुट्टिम विधि में विवाह के पश्चात् वह मास  
के भीतर जन्म ब्राह्मण धर्मज होता है जब तक कि  
पिता उस ब्राह्मण की अभिरुचीकार न करे। किन्तु  
राज्य अधिनियम के अंतर्गत वह ब्राह्मण धर्मज  
है जब तक कि यह सिद्ध न किया जाय कि ब्राह्मण  
के गर्भ में आने के समय विवाह के पक्षों का  
परस्पर समागम का कोई अवसर प्राप्त था।



(4)

(2) विवाह के लग्नास पत्रनाम किन्तु विवाह विधिवत 280 दिन के भीतर उत्पन्न विवाह दोनों ही विधियों में वर्णित होगा, परंतु मुस्लिम विधि के भीतर विधियों द्वारा इस उपपत्ति का बंध किना जा सकता है और साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के भीतर समाप्त के अनुसार न होने के प्रमाण द्वारा।

(3) विवाह विधिवत के 280 दिनों के पत्रनाम तथा दो वर्षों के भीतर उत्पन्न विवाह इनाफी-शाखा के अनुसार वर्णित होगा, क्योंकि विधियों के विषय लागू होंगे। सुनी विधि के अभी और मलिकी उपशाखा अनुसार यह काठ विवाह विधिवत की विधि से चार वर्षों तक माना जाता है। साक्ष्य अधिनियम में स्पष्टतः यह वर्णित नहीं है कि ऐसा विवाह वर्णित होगा या अवर्णित।

ऐसा प्रतीत होता है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 विवाह विधिवत के 280 दिनों के उपरान्त उत्पन्न विवाह की वर्णितता सम्बन्धी मुस्लिम विधि को प्रभावित नहीं करती है। किन्तु आधुनिक समय में विकसित शरीरशास्त्र और श्रुतकानु विज्ञान के ज्ञान के मुस्लिम विधि की यह उपपत्ति अत्यधिक समजाए और निरूपण हो चुकी है।